

**उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)**

ना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
80/19	188 RTA	निपरिचि	६९३।
वादी		वाद शीर्षक	प्रतिवादी
जगन्नाथ		बनाम	बद्रीलाल

वकील :- कृष्ण गोपाल मारीव      **आदेश पत्रक**      वकील :-

**दिनांक**      **कार्यवाही एवं आदेश**      **विविध संदर्भ**

20/8/19

अभिभाषक वादी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जर्जे समन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 21/9/19 को पेश हो।

7/9/19

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 16/10/19 को पेश हो।

*[Signature]*  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)

16/10 की कोर्ट से आदेश आने के बाद न्यायालय लगे पत्र

16/10/19

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 25/11/19 को पेश हो।

*[Signature]*  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)

25/11/19

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 24/12/19 को पेश हो।

*[Signature]*  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)

24/12/19

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 4/1/20 को पेश हो।

*[Signature]*  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)

पत्रावली पत्र डूब करील करी उपा करील  
 करी उकरल उगी पत्राग करी पाटने  
 के नोट प्लेस करल पाटने के करी  
 का काड नोट प्लेस किया गार के  
 पत्रावली फॉर्मल इगल डीनर काड नगील  
 तकरील के इच्छित इफाल हो

met Pro  
~~...~~

✍